

51-23

पगावली पेशा कुई) प्राणी की ओर से कोई उपारूपित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के बावजूद प्राणी एवं आविष्कता प्राणी अनुपारूपित रहे। प्राणी एवं प्राणी आविष्कता आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उठाते-चलाते वे प्राणी जंजीर नहीं होने के कारण प्राणी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्वाण आज दिनांक 5-1-2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पगावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो, प्राणिक लोक भाण्डार है।

उप जिला कलक्टर
लवाण

